

**कार्यालय,
राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,
नया दिल्ली, भारत।**

दिनांक - २५/०१/२०१९/११३३

संख्या/वि.प्रा.प. ११-६-२०१९

->कार्यालय आदेश->

अधिकांश भारतीय राजकीय विद्या परिषद द्वारा विहित कृत २०१९-२० हेतु जिनको राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद को अनुसंधान प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार के कार्यालय/संस्कृत विद्या परिषद, भारत सरकार के कार्यालय/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का संस्कृत विद्या परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद/एन सी ई आर २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।

उक्त से अनुसंधान से संबंधित समिति को दिनांक ०६-०२-१९ दिनांक १५-०१-१९ प्राथमिक शिक्षा परिषद को दिनांक ०६-०२-१९ से संबंधित प्रस्ताव का प्रस्ताव प्राप्त गया। संस्कृत विद्या परिषद द्वारा प्राप्त विचार-विचार का विवरण निम्नलिखित किया गया -

- **संशोधक-१** में अधिकांश राजकीय प्राथमिक विद्या परिषदों से संबंधित विचारों पर प्रस्तावों को संशोधन से समिति द्वारा विचार-निर्णय किया गया और सर्वसम्मति से **संशोधक-१** में अधिकांश विद्या परिषदों से अनुसंधान संशोधकों को सत्र २०१९-२० हेतु विहित संस्कृत प्रदान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान करने का निर्णय किया गया।

उक्त विचारों पर संबंधित प्रस्ताव को प्रस्ताव को संस्कृत विद्या परिषद द्वारा विचार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० हेतु विहित किया जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	विद्या परिषद	प्राथमिक शिक्षा परिषद का नाम	संस्कृत विद्या परिषद का नाम	संस्कृत/प्राथमिक शिक्षा परिषद/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० में अनुसंधान प्रदान किया	संस्कृत/प्राथमिक शिक्षा परिषद/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० में अनुसंधान प्रदान किया
१	आर	राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, नया दिल्ली	राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, नया दिल्ली	५०	५०
		विद्या परिषद, नया दिल्ली	विद्या परिषद, नया दिल्ली	५०	५०
		विद्या परिषद, नया दिल्ली	विद्या परिषद, नया दिल्ली	५०	५०
		विद्या परिषद, नया दिल्ली	विद्या परिषद, नया दिल्ली	५०	५०

संस्कृत विद्या परिषद

- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा विहित की गई शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार के कार्यालय/संस्कृत विद्या परिषद, भारत सरकार के कार्यालय/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का संस्कृत विद्या परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद/एन सी ई आर २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।
- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।
- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।
- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।
- ✓ राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत/प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र २०१९-२० हेतु संस्कृत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया।

कार्यालय,

उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3937

संलग्न दिनांक 09/08/2021

कार्यालय शाखा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्टाडीज तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार (फाउण्डेशन प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ये निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन फाउण्डेशन एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4841-RAJ POLYTECHNIC SISWA, BABATPUR , BADAGAON , VARANASI-221008

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2014 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं अटेंशनों का अनुपालन करेगी तथा युक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित युक्त तीन वर्षीय इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019-20 परीक्षार्थ से वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम हेतु सत्र-

100.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोज्य लागू रहना में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सन्देश द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेशों प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीरत निरीक्षण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु परीस का पुनर्निरीक्षण किया जाता है, तो परीस की समीक्षाएं दो तालू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना (विनियमावली-2000 की धारा का अनुपालन करना होगा)।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०टी०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि-निर्णयों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधेयक इन फार्मेटो पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि भी सी.आई. नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध दाखल किया जाता है तथा उत्तर बंध के संबंध में सा. साधारण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अहंदा निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की बांझी होगी।
- ✓ विधेयक इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर करिबंद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा सीधे द्वार पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत त्रैमासिक आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक फुडि भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-परिषद हेतु उपर्युक्त मातृसंस्था उपलब्ध कराने के साथ रैजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अमितेय, भूमि-भवन, ऊर्जा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०टी०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसन्धानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सीनकर)

सचिव

सं. प्राविणपरिषद् सन्वत् 2024/3538-4800

दिनांक: 04/08/2024

प्राविण-

प्रधानाचार्य/सिद्धान्त RAJ POLYTECHNIC SISWA, BABATPUR, BADAGACHON, VARANASI-221006



(सुनील कुमार सोनकार)

सचिव